

न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर
बड़जलास-पीयुष समारिया, आई.ए.एस

म्यूटेशन अपील संख्या -77/2021
जी.सी.एम.एस.पोर्टल नम्बर-2021/112

| अपीलान्ट | बनाम | रेस्पोडेन्ट्स |
|---|--|---------------|
| 1. गौरीशंकर पुत्र स्व. रामकुंवार आयु 48 साल जाति अचारज | 1. हीरालाल पुत्र रामकुंवार जाति अचारज निवासी अचारजों का मोहल्ला रेण तहसील मेड़ता जिला नागौर | |
| 2. अर्जुन पुत्र गौरी शंकर आयु 25 साल जाति अचारज | 2. ममता पारीक पत्नी रमेशचंद पारीक निवासी ग्राम मेढास तहसील रियांबडी जिला नागौर | |
| 3. आशीष पुत्र गौरीशंकर आयु 22 जाति अचारज निवासीगण अचारजों का मोहल्ला रेण तहसील मेड़ता जिला नागौर राज. | 3. राजाराम पुत्र स्व. रामकुंवार जाति अचारज निवासी अचारजों का मोहल्ला रेण तहसील मेड़ता जिला नागौर | |
| | 4. नाथी पत्नी स्व. रामकुंवार जाति अचारज निवासी अचारजों का मोहल्ला रेण तहसील मेड़ता जिला नागौर | |
| | 5. इलायची पुत्री स्व. रामकुंवार जाति अचारज निवासी अचारजों का मोहल्ला रेण तहसील मेड़ता जिला नागौर | |
| | 6. तहसीलदारजी मेड़ता तहसील मेड़ता जिला नागौर | |

उपस्थिति :-

1. अपीलान्ट की ओर से वकील श्री रामकिशोर सोनी।
2. रेस्पोडेन्ट संख्या-1,2,4 व 5 की ओर से वकील श्री विक्रम जोशी, रेस्पोडेन्ट संख्या-6 की ओर से राजपैरोकार श्री ओमप्रकाश पूनिया।

निर्णय

दिनांक : 06/09/2022

अपीलान्ट ने धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत वाके ग्राम रेण का म्यूटेशन संख्या 2662 दिनांक 31.12.2020 जो तहसीलदार मेड़ता द्वारा दिनांक 06.01.2021 को स्वीकृत किया गया है, से व्यथित होकर यह अपील दिनांक 27.08.2021 को प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट की अपील ताबे उज्र मियाद दर्ज रजिस्टर कर, अधिनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया व रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या-3 ने बावजूद सूचना के हस्तगत प्रकरण की सुनवाई कार्यवाही में भाग नहीं लिया।

प्रार्थी/अपीलान्ट के मियाद प्रार्थना-पत्र पर वकूलाय की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी/अपीलान्ट ने बहस में कथन किया कि उक्त प्रकरण में उक्त आदेश की प्रार्थी को जानकारी होते ही प्रार्थी ने अधिनस्थ न्यायालय में सम्पर्क कर आदेश की प्रमाणित की लेकिन इसी दौरान कौरोना वैश्विक महामारी फेल गई थी तथा लोकडाउन लागू हो गया था जिस कारण से प्रार्थी समय पर अपने अधिवक्ता से सम्पर्क नहीं कर सका ना ही नियत समयावधि में न्यायालय हाजा के समक्ष अपील पेश कर सका। चूंकि प्रार्थी वृद्ध व्यक्ति है तथा अक्सर बिमार रहता है जिस कारण से लोकडाउन समाप्त



✓
कलक्टर, नागौर

होते ही उसने अपने अधिवक्ता से सम्पर्क कर कार्यवाही करनी चाही लेकिन प्रार्थी बिमार हो गया जिसका उसने देशी ईलाज लिया तथा अब प्रार्थी का स्वास्थ्य सही हुआ ओर उसने स्वास्थ्य सही होते ही अपीलान्ट/प्रार्थी ने बिना किसी विलम्ब के न्यायालय हाजा के समक्ष यह अपील पेश की है, का कथन करते हुए वकील प्रार्थी/अपीलान्ट ने अपील पेश करने में हुए विलम्ब को मामले की परिस्थितियों को मदेनजर रखते हुए न्याय हित मे विलम्ब का शमन किया जाने का आदेश पारित करने का निवेदन किया है।

वकील श्री विक्रम जोशी एवं राजपैरोकार ने अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील मयाद बाहर होने का कथन करते हुए अपीलान्ट/प्रार्थी का मयाद प्रार्थना पत्र व अपील खारिज करने का निवेदन किया।

प्रार्थी/अपीलान्ट द्वारा अपील के साथ प्रस्तुत मयाद प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र एवं बहस में किये गये कथन पर विश्वास किया जाकर न्याय हित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील की गुणावगुण के आधार पर मेरिट पर सुनवाई किया जाना उचित होने से प्रार्थी/अपीलान्ट का मयाद प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है एवं अपील अपीलान्ट को अन्दर मयाद शुमार की जाती है।

अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील पर वकूलाय की बहस सुनी गई। वकील अपीलान्ट ने अपील में प्रस्तुत तथ्यों को दोहराते हुवे कथन किया कि अपीलान्ट तथा रेस्पोंडेन्ट संख्या 1,3-5 एक ही स्व0 रामकुंवार के विधिक वारिसान है। स्व. रामकुंवार जी के पांच विधिक वारिसान नाथी देवी, हीरालाल, राजाराम, गौरीशंकर व इलायची हुऐ तथा रामकुंवार जी की काश्त कब्जा व खातेदारी अधिकार की कृषि आराजी गाँव रेण में खसरा संख्या 219 रकबा 0.04 हेक्टेयर किस्म बाड़ा, खसरा संख्या 737/2668 रकबा 0.20 हेक्टेयर किस्म सड़क, खसरा संख्या 738 रकबा 0.49 हेक्टेयर, खसरा संख्या 739 रकबा 0.88 हेक्टेयर, खसरा संख्या 740 रकबा 2.05 हेक्टेयर, खसरा संख्या 749 रकबा 1.47 हेक्टेयर खसरा संख्या 781 रकबा 3.18 हेक्टेयर, कुल 8.31 हेक्टेयर स्थित है।

रामकुंवार जी का देहान्त दिनांक 16.11.2014 हो गया, जिसके बाद रामकुंवारजी की सम्पति के उपरोक्त अपीलान्ट तथा रेस्पों संख्या 1,3:5 विधिक वारिसान हुए तथा रामकुंवारजी की सम्पति में प्रत्येक का 1/5 हिस्सा विधिक रूप से निहित हुआ तथा बाद में रेस्पों. संख्या 4 व 5 ने अपीलान्ट तथा रेस्पों संख्या 1 व 3 के हक में अपना विधिक हिस्सा का हक त्याग कर दिया जिससे उपरोक्त समस्त आराजी में अपीलान्ट तथा रेस्पों. संख्या 1 व 3 प्रत्येक का 1/3 हिस्सा विधिक रूप से निहित करता है।

अपीलान्ट एक भोला भाला व्यक्ति है जिसको रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 तथा उसके पुत्र सीताराम ने अपनी चुपड़ी बातों में लेकर अपीलान्ट के विधिक वारिसान की सहमति लिये बिना ही धोखाधड़ी करते हुए रेस्पों संख्या 1 के नाम से एक तर्कनामा लिखवाया जिस पर अपीलान्ट के हस्ताक्षर अपीलान्ट से धोखाधड़ी पूर्वक करवा लिये ओर अपीलान्ट उपरोक्त आराजी कृषि आराजी गाँव रेण में खसरा संख्या 219 रकबा 0.04 हेक्टेयर किस्म बाड़ा खसरा संख्या 738 रकबा 0.49 हेक्टेयर खसरा संख्या 739 रकबा 0.88 हेक्टेयर, खसरा संख्या 740 रकबा 2.05 हेक्टेयर, खसरा संख्या 749 रकबा 1.47 हेक्टेयर खसरा संख्या 781 रकबा 3.18 हेक्टेयर जिनमें प्रत्येक में अपीलान्ट का 1/3 हिस्सा निहित करता है को अपने नाम से धोखाधड़ी कर राजस्व रेकॉर्ड में हल्का पटवारी व राजस्व कर्मचारियों से मिलीभगत कर दर्ज करवा लिया जबकि उपरोक्त सम्पूर्ण आराजी अपीलान्ट तथा रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 व 3 की पुश्तेनी आराजी थी तथा अपीलान्ट तथा रेस्पों संख्या 1 व 3 को बिना अपीलान्ट के विधिक वारीसान की सहमति लिये हुए हक तर्कनामा दिनांक 13.09.2019 को निष्पादित करने व कराने का अधिकार नहीं था तत्पश्चात उक्त तर्कनामा के आधार पर रेस्पों संख्या 1 का नाम राजस्व रेकॉर्ड में नामान्तरण संख्या 2368 के जरिये दर्ज हुआ।



कलक्टर, नागौर

उक्त तर्कनामा आरम्भ से ही धोखाधड़ी व बिना हक अधिकारीता के ही पजियन करवाया गया था जिस कारण से उक्त तर्कनामा को निरस्त करवाने के लिये सक्षम न्यायालय में वाद भी विचाराधीन है।

रेस्पो संख्या 1 ने धोखाधड़ी पूर्वक स्व रामकुंवार जी की आराजी जिसमें रामकुंवारजी के समस्त वारिसान हिन्दु विधि के अनुसार समस्त बेटे पोतो का हक निहित करता है को गैर कानूनी रूप से हड़प लिया गया है तथा बाद में उपरोक्त आराजी में से खसरा संख्या 3628/738, 739 तथा 740 कुल रकबा 3.2700 हेक्टेयर को पांच टुकड़ों में खसरा संख्या 3634/3628 रकबा 0.03 हेक्टेयर, खसरा संख्या 3635/3628 रकबा 0.310 हेक्टेयर, खसरा संख्या 3636/740 रकबा 0.2200 हेक्टेयर, खसरा संख्या 3637/740 रकबा 1.83 हेक्टेयर तथा खसरा संख्या 739 रकबा 0.8800 हेक्टेयर की किस्म परिवर्तन करवाकर वाणिज्यक प्रयोजनार्थ घोषित करवाकर नामान्तरण संख्या 2662 अपने नाम से दर्ज करवा लिया तथा बाद में इस आराजी को गैर कानूनी तरीके से रेस्पोडेन्ट संख्या 2, 19 वर्ष 11 माह के लिए गैर कानूनी रूप से लीज पर दे दिया जबकि उपरोक्त आराजी स्व. रामकुंवार की सम्पत्ति होने तथा उनके देहान्त के बाद उक्त सम्पत्ति में रामकुंवार के समस्त विधिक वारिसान की सहमति होना आवश्यक व न्यायसंगत है जिस कारण से उक्त नामान्तरण संख्या 2662 गलत दर्ज किया जाने से अपीलान्त की ओर से यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जैर अपील पूर्णतया अवैध व विधी विरुद्ध ढंग से विधि के प्रावधानों के विपरीत जाकर बिना किसी प्रकार की विधिक जांच या प्रक्रिया को अपनाते हुए अपीलान्त को सुनवाई का मौका बिना दिये बिना, नैसर्गिक न्याय के सामान्य सिद्धान्तों के विपरीत पारित कर दिया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। जिन तर्कनामा को आधार बनाकर उक्त आराजी को हड़पने के लिये रेस्पो. संख्या 1 ने योजना बनाई है उन दोनों तर्कनामा को सक्षम न्यायालय से निरस्त किये जाने के लिये भी वाद प्रस्तुत कर दिया है जो विचाराधीन है। हिन्दु उतराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत जाकर दस्तावेजों व सरसरी जांच किये बिना ही उक्त नामान्तरण आदेश जारी किया गया है जो काबिल निरस्त है।

अधीनस्थ न्यायालय ने केवल मात्र हल्का पटवारी की रिपोर्ट को ही आधार मानकर उक्त निर्णय पारित कर दिया है जबकि वादग्रस्त भूमि की स्थिति वर्तमान में क्या है तथा इससे पूर्व क्या रही है इस तथ्य पर किसी भी प्रकार से कोई भी ध्यान नहीं दिया है ना अधीनस्थ न्यायालय ने अपने स्तर पर कोई भी जांच या रेकॉर्ड पर ध्यान नहीं दिया है जिस कारण मौके की वास्तविक स्थिति का ज्ञान अधिनस्थ न्यायालय को नहीं हो पाया है जिस कारण भी उक्त आदेश काबिल निरस्त फरमाया जाने योग्य है।

अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्त की जानकारी के बिना ही अचानक से पत्रावली को फौसल कर दिया जिस कारण भी पारित आदेश अवैधानिक व प्रक्रिया विहिन होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य होने का कथन करते हुए वकील अपीलान्त ने अपीलान्त की अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का म्यूटेशन क्रमांक 2662 दिनांक 31.12.2020 न्यायालय तहसीलदारजी मेड़ता को जैर अपील खारिज करने तथा उक्त मामले में अपीलान्त को पूर्ण साक्ष्य व सुनवाई का अवसर दिया जाकर विधिनुसार निर्णय करने उक्त पत्रावली पुनः रिमाण्ड करने का निवेदन किया है।

वकील श्री विक्रम जोशी ने वकील अपीलान्त की बहस का पुरजोर विरोध करते हुए बहस में कथन किया कि अपीलान्त द्वारा नामान्तरण संख्या-2662 दिनांक 31.12.2020 जो अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार मेड़ता द्वारा दिनांक 06.01.2021 को स्वीकृत किया गया है, को खारिज करने एवं अपीलान्त को पूर्ण सुनवाई का अवसर दिया जाकर विधि अनुसार निर्णय करने हेतु रिमाण्ड करने के निवेदन के साथ हस्तगत अपील प्रस्तुत की है। उक्त संबंध में उल्लेखनीय है कि कार्यालय विहित



कलक्टर, नगौर

प्राधिकारी (जिला कलक्टर) नागौर के आदेश क्रमांक-एफ-12(18)राजस्व/ 2020/ 467 दिनांक 03.02.2020 जिसके द्वारा खातेदार रेस्पोडेन्ट संख्या-1 हीरालाल आचार्य की ग्राम रेण तहसील मेड़ता के खसरा नं0 738 रकबा 0.49 हैक्टर व खसरा नम्बर 740 रकबा 2.05 हैक्टर में से 2500 वर्गमीटर भूमि नियमानुसार वाणिज्यिक (पेट्रोल पम्प) प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन किया गया है। उक्त आदेश की पालना में तहसीलदार मेड़ता द्वारा पत्रांक-भू.अ. सं.प./2020/918 दिनांक 05.02.2020 के द्वारा पटवारी रेण को उक्त आदेशनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने के निर्देश दिये जाने पर पटवारी रेण द्वारा उक्त आदेश 03.02.2020 एवं तहसीलदार मेड़ता के उक्त पत्र दिनांक 05.02.2020 की पालना में नामान्तरकरण जैर अपील भरा गया, जिस पर भू-अभिलेख निरीक्षक रेण द्वारा माफिक रूपान्तरकरण आदेश के अंकन सही होने की रिपोर्ट की गई, तत्पश्चात अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 06.01.2020 को उक्त नामान्तरकरण जैर अपील को स्वीकृत किया गया है, जो पूर्णतया विधि अनुरूप है।

अपीलान्ट द्वारा पूर्व में दिनांक 13.09.2019 को रेस्पोडेन्ट संख्या-1 के पक्ष में निस्पादित किये गये तर्कनामा को धोखाधड़ी पूर्वक करवाया गया तर्कनामा बताकर नामान्तरकरण जैर अपील को निरस्त/रिमाण्ड करने का निवेदन किया है। उक्त संबंध में उल्लेखनीय है कि प्रथमतः नामान्तरकरण जैर अपील तर्कनामा के आधार पर स्वीकृत नहीं किया गया है। इसके अलावा उक्त तर्कनामा निरस्त करवाने के संबंध में स्वयं अपीलान्ट के कथनानुसार सक्षम न्यायालय में वाद विचाराधीन है। ऐसी स्थिति में नामान्तरकरण जैर अपील निरस्त/रिमाण्ड किया जाना कतई विधि सम्मत नहीं होने का कथन करते हुए वकील श्री विक्रम जोशी में अपील अपीलान्ट खारिज करने का निवेदन किया है।

राजपैरोकार ने वकील श्री विक्रम जोशी की बहस का समर्थन करते हुए अपील अपीलान्ट खारिज करने का निवेदन किया है।

वकूलाय की बहस सुनी गई। सम्पूर्ण पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया। अपीलान्ट द्वारा नामान्तरकरण संख्या-2662 दिनांक 31.12.2020 जो अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार मेड़ता द्वारा दिनांक 06.01.2021 को स्वीकृत किया गया है, को खारिज करने एवं अपीलान्ट को पूर्ण सुनवाई का अवसर दिया जाकर विधि अनुसार निर्णय करने हेतु रिमाण्ड करने के निवेदन के साथ हस्तगत अपील प्रस्तुत की है। उक्त नामान्तरकरण जैर अपील अधिनस्थ न्यायालय द्वारा कार्यालय विहित प्राधिकारी (जिला कलक्टर) नागौर के आदेश क्रमांक-एफ-12(18)राजस्व/ 2020/ 467 दिनांक 03.02.2020 जिसके द्वारा खातेदार रेस्पोडेन्ट संख्या-1 हीरालाल आचार्य की ग्राम रेण तहसील मेड़ता के खसरा नं0 738 रकबा 0.49 हैक्टर व खसरा नम्बर 740 रकबा 2.05 हैक्टर में से 2500 वर्गमीटर भूमि नियमानुसार वाणिज्यिक (पेट्रोल पम्प) प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन किया गया है। उक्त आदेश की पालना में तहसीलदार मेड़ता द्वारा पत्रांक-भू.अ. सं.प./2020/918 दिनांक 05.02.2020 के द्वारा पटवारी रेण को उक्त आदेशनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने के निर्देश दिये जाने पर दिनांक 06.01.2020 को उक्त नामान्तरकरण जैर अपील को स्वीकृत किया गया है।

अपीलान्ट द्वारा पूर्व में दिनांक 13.09.2019 को रेस्पोडेन्ट संख्या-1 के पक्ष में निस्पादित किये गये तर्कनामा को धोखाधड़ी पूर्वक करवाया गया तर्कनामा बताकर नामान्तरकरण जैर अपील को निरस्त/रिमाण्ड करने का निवेदन किया है। उक्त संबंध में उल्लेखनीय है कि प्रथमतः नामान्तरकरण जैर अपील उक्त तर्कनामा दिनांक 13.09.2019 के आधार पर स्वीकृत नहीं किया गया है, तर्कनामा के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 2368 भरा गया था और हस्तगत अपील नामान्तरकरण संख्या-2662 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। इसलिए अपीलान्ट का उक्त तर्क स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। इसके अलावा उक्त तर्कनामा निरस्त करवाने के संबंध में स्वयं अपीलान्ट के कथनानुसार सक्षम



कलक्टर, नागौर

न्यायालय में वाद विचाराधीन है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित नामान्तरकरण जैर अपील आदेश में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्त द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार मेड़ता को उनका मूल नामान्तरकरण एवं नामान्तरकरण से संबंधित मूल रिकार्ड लौटाते हुए निर्णय की प्रति पालनार्थ भिजवाई जावे।

निर्णय सुनाया गया।



(पीयूष संसारिया)
जिला कलक्टर, नागौर
कलक्टर, नागौर